**जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 3751/2026**

**सरकार.... प्रति...... संदीप उर्फ रिंकू**

**16.07.2026** **आदेश**

मु०अ०सं० 128/2026, अन्तर्गत धारा 303(2),317(2) बी०एन०एस० थाना मलवां, जिला फतेहपुर के मामले में अभियुक्त संदीप उर्फ रिंकू का जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरुद्ध हैं।

प्रार्थी/अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष है। प्रार्थी के उपरोक्त मुकदमें में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। कथित घटना फर्जी मनगढ़न्त एवं बेबुनियाद है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज हुयी है। प्रार्थी मुकदमा उपरोक्त में दिनाक 12.07.2026 से जेल में निरूद्ध है। वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया ।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त नामजद अभियुक्त नही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात पर लिखी गयी है। अभियुक्त दिनांक 12.07.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है । अभियुक्त पर आरोपित आरोप सात वर्ष के कम सजा से दण्डनीय है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सत्येन्द्र कुमार अंटिल बनाम सेण्ट्रल ब्यूरो आफ इंन्वेस्टीगेशन एवं अन्य (Special Leave to Appeal(Crl.)No.5191 of 2021, decided on 07.10.2021) में पारित विधिक सिद्वांत के आलोक में एवं उपरोक्त को दृष्टिगत एवं मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों जमानत का आधार पर्याप्त है । तदानुसार अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है । **अभियुक्त द्वारा बीस हजार रुपये का स्वबंधपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करना सुनिश्चित करें।**

कार्यालय लिपिक/अहलमद को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्गत C.L. No. 07/ Admin 'G-II Dated 14.03.2023 compliance of order/Judgment dated 31.01.2023 passed by Hon'ble Supreme Court in Suo Moto Writ Petition (Cri.) No. 04 of 2021 titled as in Re: Policy Strategy for Grant of Bail.के आलोक में इस आदेश की Soft Copy द्वारा e-mail बंदी अभियुक्त को जरिये अधीक्षक कारागार प्रेषित की जाए ।

प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,<br>फतेहपुर।